राजस्थान–सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज0 जयपुर

क्रमांक : राजप/सामान्य/2010/ दिनांक :

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।

समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।

विषयः–चिकित्सकों को प्रशिक्षण में लगाने पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के संबंध में।

प्रायः यह देखा गया है कि राजस्थान हैल्थ सिस्टम परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न विषयों में चिकित्सकों को प्रशिक्षण के लिए नामांकन करने के उपरान्त भी आप द्वारा चिकित्सकों को प्रशिक्षण में समय पर कार्यमुक्त नहीं किया जाता है। अथवा उक्त चिकित्सक कार्यमुक्त होने के उपरान्त भी प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं होते है।

प्रमुख शासन सचिव महोदय द्वारा इस प्रवृत्ति को गंभीरता से लिया गया है। अतः इस क्रम में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान हैल्थ सिस्टम परियोजना द्वारा आयोजित सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में चिकित्सकों का नामांकन एवं नामांकन उपरान्त नामांकित चिकित्सक को आवश्यक रूप से प्रशिक्षण में उपस्थित होने हेतु पाबंद करें। प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं होने वाले चिकित्सकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए प्रशिक्षण की राशि चिकित्सकों के वेतन से वसूलने की कार्यवाही करें।

आपके स्तर से यदि कोई कोताही बरती जाती है तो आपके विरूद्ध भी अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : राजप/सामान्य/2010/ 563 दिनांक : 30/8/10

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, प्रोजेक्ट निदेशक (एनआरएचएम/आरएचएसडीपी), मुख्यायल।
3. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वास्थ्य), मुख्यालय।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन।
5. प्रभारी, केन्द्रीय, सरवर रूम, मुख्यालय को नेट पर प्रसारित करवाने हेतु।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर